भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं01997

14 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

कॉमन मोबिलिटी कार्ड

1997. डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूरे देश में कॉमन मोबिलिटी कार्ड लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पारदर्शी किराया प्रणाली लागू करने के लिए राज्यों को कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का इसमें पीएम-ई-बसों के आलावा अन्य बसों को भी सम्मिलित करने का विचार है और यदि हां, तो पारदर्शी टिकट प्रणाली में शहरी परिवहन में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग) जी हां, केंद्र सरकार ने देश भर में राज्य सरकारों/सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों/हितधारकों द्वारा राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड को अपनाने के लिए एनसीएमसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतिम इंटरफ़ेस विनिर्देश जारी किए हैं। पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत, सरकार और सभी शहरों में स्टेज कैरिज परमिट आधार पर चलने वाली सभी निजी बसों के लिए नेशनल मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसी) के कार्यान्वयन हेतु 'प्रति लेनदेन या एकमुश्त' आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****